

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 203/2022

श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनू (राजस्थान), पिन
कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 29.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 203/2022 पर दिनांक 09.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2579-80 दिनांक 09.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक रीडर/2021/361 दिनांक 27.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2022 को प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2021/198 दिनांक 19.04.2022 के द्वारा नियमानुसार उपलब्ध सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना दिलवाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक रीडर/2021/361 दिनांक 27.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2022 को प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2021/198 दिनांक 19.04.2022 के द्वारा नियमानुसार उपलब्ध सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।।



(एल0एस0कुडी)

जिला कलक्टर, झुंझुनू